भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2116

उत्तर देने की तारीख- 12/02/2026

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) की कार्यप्रणाली

2116. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) पर लागू संशोधन और वर्ष 2002 में किए गए प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में ट्राईफेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) वन धन विकास केंद्र योजना के अंतर्गत ट्राईफेड द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की राज्यवार और राजस्थान के लिए जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(घ) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत ट्राइफेड की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ट्राइब्स इंडिया रिटेल मार्केटिंग और आदि महोत्सव के अंतर्गत संबद्ध उत्पादों और कारीगरों की राज्यवार और राजस्थान के लिए जिलावार संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (2002 और 2023 में संशोधित) के तहत पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है। ट्राइफेड अपने उप-नियमों के अनुसार शासित होता है जो एमएससीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं। ट्राइफेड के उपनियमों (उपविधियों) को 2002 के अधिनियम और नियमों के साथ संरेखित करने के लिए अप्रैल 2003 में संशोधित किया गया था, जिसमें इसे पूरे भारत में जनजातीय उत्पाद विपणन पर केंद्रित एक संघीय सहकारी के रूप में परिभाषित किया गया था। 2023 के संशोधन के साथ संरेखित करने के लिए 2025 में ट्राइफेड के उपनियमों (उपविधियों) में संशोधन किया गया है और संशोधनों के सार के साथ संशोधित उपनियम https://trifed.tribal.gov.in/Bye-law पर उपलब्ध हैं।

(ख): ट्राइफेड, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। ट्राइफेड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के तहत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी भी है।

(ग): पीएमजेवीएम और पीएम-जनमन के तहत राजस्थान सहित वीडीवीके का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है। राजस्थान के लिए पीएमजेवीएम और पीएम जनमन के तहत जिले-वार वीडीवीके विवरण **अनुलग्नक II** पर है।

(घ): ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।

(ङ): पीएमजेवीएम योजना के तहत, मंत्रालय लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिसूचित करता है और अधिसूचित एमएसपी पर एमएफपी की खरीद के लिए राज्य सरकारों को परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) प्रदान करता है। 87 एमएफपी की सूची जिनके लिए मंत्रालय ने एमएसपी अधिसूचित की है, **अनुलग्नक III** में दी गई है। अब तक मंत्रालय ने एमएफपी खरीद के लिए राज्य सरकारों को 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(च): ट्राइफेड, जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करता है, जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सरकारी एजेंसियां शामिल हैं जो जनजातीय कारीगरों के साथ काम कर रही हैं। देश भर में 31.10.2025 तक 6154 आपूर्तिकर्ता/उत्पादक ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध हैं, जो 3,12,167 परिवारों से जुड़े हैं। इसका राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक IV** में दिया गया है। ट्राइफेड के पास 08 श्रेणियों (कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, उपहार और वर्गीकृत वस्तुएं, बेंत और बांस, धातु, आभूषण और प्राकृतिक उत्पाद) में 01 लाख से अधिक उत्पादों की माल-सूची (इन्वेंटरी) है । राजस्थान में, 51774 परिवारों से जुड़े 283 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध किया गया है। जिले-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैः

क्र.सं.	जिला	आपूर्तिकर्ता की संख्या	पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ता से संबंधित जनजातीय परिवार
1	उदयपुर	59	8601
2	झालावाड़	35	8706
3	डूंगरपुर	28	7294
4	प्रतापगढ़	27	6984
5	सिरोही	27	5230
6	जयपुर	24	234
7	कोटा	21	5475
8	बांसवाड़ा	17	3756
9	बारां	17	4186
10	दौसा	11	90
11	जैसलमेर	8	93
12	राजसमंद	3	43
13	बाड़मेर	2	1031
14	बूंदी	1	1
15	झुंझुनू	1	12
16	करौली	1	37

17	सवाई माधोपुर	1	1
	कुल	283	51774

राजस्थान में संचालित ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	आउटलेट का नाम	पूरा पता
1	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, अजमेरी गेट, जयपुर	जी-2, राजस्थली बिल्डिंग, अजमेरी गेट, एम.आई. रोड, जयपुर- 302001
2	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़, उदयपुर	टिकट विंडो के पास, सज्जनगढ़, बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर-313004
3	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	भारतीय लोक कला मंडल, पंचवटी रोड, यस बैंक के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर-313001
4	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, नीमराना, एनएच-8	होटल हाईवे किंग, नीमराना, कोटपुतली-बहरोड़-301701
5	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, आमेर किला, जयपुर	दिल आराम बाग, एलिफेंट स्टैंड के पास, आमेर किला, जयपुर, राजस्थान, 302028
6	राजस्थान	ट्राइब्स इंडिया, पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर	पासपोर्ट सेवा केंद्र, पहली मंजिल, ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान-302006

अनुलग्नक -I

ट्राइफेड की कार्य प्रणाली के संबंध में 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- I

पीएमजेवीएम वीडीवीके की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संस्वीकृत वन धन विकास केंद्रों की संख्या**	**लाभार्थियों की कुल संख्या**	**संस्वीकृत निधियां (लाख रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	495	150765	7425
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा नगर हवेली और दमन व दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	झारखंड	146	43701	2174.7
11	कर्नाटक	140	41748	2087.4
12	केरल	44	12038	597.25
13	लद्दाख	10	3000	150
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	279	83850	4185
16	मणिपुर	207	62,226	3088.45
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	286	84268	4211.55
19	नागालैंड	347	104068	5203.4
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	**505**	**152362**	**7513.55**
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	27	8227	402.45
कुल		**4125**	**1233328**	**61212.7**

अनुलग्नक -I

ट्राइफेड की कार्य प्रणाली के संबंध में 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- I

पीएम-जनमन वीडीवीके की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/जिला	संस्वीकृत वीडीवीके	लाभार्थी	संस्वीकृत निधि (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	1	56	2.8
2	आंध्र प्रदेश	73	6,162	307.55
3	छत्तीसगढ़	16	2395	119.75
4	गुजरात	21	1,050	52.5
5	झारखंड	35	2,876	143.8
6	महाराष्ट्र	40	3,624	181.2
7	मणिपुर	2	600	30
8	तेलंगाना	25	1,461	73.05
9	त्रिपुरा	30	2,550	127.5
10	**राजस्थान**	**51**	**8,842**	**442.1**
11	कर्नाटक	33	1,836	91.8
12	केरल	7	537	26.85
13	मध्य प्रदेश	83	5,091	254.5
14	ओडिशा	66	5,244	262.95
15	तमिलनाडु	37	2,403	120.15
16	उत्तर प्रदेश	5	319	15.95
17	उत्तराखंड	9	634	31.7
18	पश्चिम बंगाल	5	278	13.9
कुल		**539**	**45958**	**2298.05**

अनुलग्नक -II

ट्राइफेड की कार्य प्रणाली के संबंध में 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

पीएमजेवीएम वीडीवीके का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले के नाम	वन धन विकास केंद्रों की कुल संख्या	वीडीवीके सदस्यों की कुल संख्या
1	उदयपुर	110	33189
2	सलूंबर	39*	11826
2	बांसवाड़ा	82	24824
3	डूंगरपुर	72	21672
4	प्रतापगढ़	62	18662
5	सिरोही	27	8612
6	कोटा	22	6645
7	बारां	29	8600
8	झालावाड़	62	18332
कुल		**505**	**152362**

*उदयपुर जिले के तहत संस्वीकृत, लेकिन अब सलूंबर जिले के तहत

<u>पीएम जनमन वीडीवीके का जिला-वार ब्यौरा</u>

-

क्र.सं.	जिले के नाम	वन धन विकास केंद्रों की कुल संख्या	वीडीवीके सदस्यों की कुल संख्या
1	बारां	51	8842
कुल		**51**	**8842**

अनुलग्नक III

ट्राइफेड की कार्य प्रणाली के संबंध में 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- III

पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एमएफपी/वस्तुएं और उनकी एमएसपी दरों की सूची

क्र. सं.	एमएफपी का नाम	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसपी (रुपये प्रति किलोग्राम में)	श्रेणी एफ-वन ए-कृषि पी-संसाधित एम-औषधीय एच-बागवानी	प्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	36	एफ	अखिल भारत
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	225	एफ	अखिल भारत
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेनस)	114	एफ	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22	एफ	अखिल भारत
5	साल के बीज (शोरियारोबुस्टा)	20	एफ	अखिल भारत
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	29	एफ	अखिल भारत
7	साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा)	35	एफ	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांज़न)	126	एफ	अखिल भारत
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15	एफ	अखिल भारत
10	रंगिनी लाख	200	एफ	अखिल भारत
11	कुसुमी लाख	275	एफ	अखिल भारत
12	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	23	एफ	अखिल भारत
13	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	27	एफ	अखिल भारत
14	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	16	एफ	अखिल भारत
15	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17	एफ	अखिल भारत
16	पहाड़ी झाड़ू घास (थायसानोलेना मैक्सिमा)	50	एफ	अखिल भारत
17	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	50	एफ	अखिल भारत
18	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	30	एफ	अखिल भारत
19	नागरमोथा (साइपरस रोटुंडास)	30	एफ	अखिल भारत
20	शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	107	एफ	अखिल भारत
21	गुडमार / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	41	एफ	अखिल भारत

22	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	35	एफ	अखिल भारत
23	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	63	एफ	अखिल भारत
24	गुग्गुल (एग्ज्यूडेट्स)	812	एफ	अखिल भारत
25	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	30	एफ	अखिल भारत
26	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	40	एफ	अखिल भारत
27	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	42	एफ	अखिल भारत
28	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	52	एफ	अखिल भारत
29	भिलावां (मार्किंग नट्स)(सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	9	एफ	अखिल भारत
30	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	14	एफ	अखिल भारत
31	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	13	एफ	अखिल भारत
32	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	21	एफ	अखिल भारत
33	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	29	एफ	अखिल भारत
34	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	40	एफ	अखिल भारत
35	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	21	एफ	अखिल भारत
36	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	34	एफ	अखिल भारत
37	वायबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	94	एफ	अखिल भारत
38	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा)	37	एफ	अखिल भारत
39	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	42	एफ	अखिल भारत
40	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	22	एफ	अखिल भारत
41	क्षीरनी (हेमीडेसमस इंडिकस)	35	एफ	अखिल भारत
42	बकुल (सूखी छाल)(मीमुसोपसइलेंगी)	46	एफ	अखिल भारत
43	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका)	31	एफ	अखिल भारत
44	नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया)	17	एफ	अखिल भारत
45	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	21	एफ	अखिल भारत
46	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	45	एफ	अखिल भारत
47	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	31	एफ	अखिल भारत
48	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	34	एफ	अखिल भारत
49	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	28	एफ	अखिल भारत
50	सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद होमोलोमिना एरोमैटिक)	38	एफ	अखिल भारत
51	वन तुलसी के बीज	16	एफ	अखिल भारत

52	वन जीरा	70	एफ	अखिल भारत
53	इमली का बीज	11	एफ	अखिल भारत
54	बांस झाड़ू	60	एफ	अखिल भारत
55	सूखा अनोला	60	एफ	अखिल भारत
56	कचरी बहेड़ा	20	पी	अखिल भारत
57	कचरीहर्र	23	पी	अखिल भारत
58	बीज लाख	677	एफपी	अखिल भारत
59	बीटल नट कच्चा	30	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
60	सूखी सुपारी	200	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
61	मशरूम (सूखा)	300	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
62	काला चावल	100	ए	पूर्वोत्तर राज्य
63	जोहर चावल	50	ए	पूर्वोत्तर राज्य
64	मोटी (किंग) मिर्च	300	ए	पूर्वोत्तर राज्य
65	सरसों	40	ए	पूर्वोत्तर राज्य
66	कच्चा काजू	450	ए	पूर्वोत्तर राज्य
67	काजू	800	ए	पूर्वोत्तर राज्य
68	सूखी अदरक	50	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
69	पेरिला	140	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
70	रोज़ेला	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
71	अखरोट	150	ए	पूर्वोत्तर राज्य
72	सूखे ज़ैंथोक्सिलम	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
73	जैक फल बीज	45	ए	पूर्वोत्तर राज्य
74	तसर कोकून (क्रिसलिस)		एफ/एच	झारखंड राज्य
	रीलिंग क्लास ग्रेड-I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो)	3200/हजार संख्या		
	अन-रीलिंग ग्रेड-I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो)	1500/हजार संख्या		
75	कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल)	90	एफ/पी	अखिल भारत
76	हाथी सेब सूखा (डिलनिया इंडिका)	120	एफ/एच	पूर्वोत्तर राज्य
77	बांस की टहनी (फिलोस्टैचिस एडुलिस)	70	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
78	मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रपैनीकुलेटस जंगली)	100	एफ	अखिल भारत
79	माहुल के पत्ते (बौहिनिया वाहली)	15	एफ	ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
80	नागोड (विटेक्स नेगुंडो)	20	एफ	अखिल भारत

81	गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस)	60	एफ	अखिल भारत
82	पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम)	120	एफ	अखिल भारत
83	गम्हार / गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया)	20	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
84	ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम)	40	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
85	जंगली मशरूम सूखा (अगारीकस्सप)	400	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
86	श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा)	18	एफ /एम	अखिल भारत
87	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)	350	एफ/पी	कर्नाटक राज्य

अनुलग्नक IV

ट्राइफेड की कार्य प्रणाली के संबंध में 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- IV

सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं/कारीगरों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	31-10-2025 तक ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता	31-10-2025 तक संबद्ध जनजातीय परिवारों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	2082
2	आंध्र प्रदेश	118	44891
3	अरुणाचल प्रदेश	128	1046
4	असम	1087	9543
5	बिहार	95	567
6	छत्तीसगढ़	160	46295
7	दादर और नगर हवेली	7	644
8	दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली एनसीआर	11	73
10	गोवा	3	80
11	गुजरात	70	10309
12	हिमाचल प्रदेश	91	3650
13	जम्मू और कश्मीर	36	215
14	झारखंड	245	33881
15	कर्नाटक	44	5481
16	केरल	29	1799
17	लद्दाख	88	2011
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	545	8530
20	महाराष्ट्र	157	8862
21	मणिपुर	310	4535
22	मेघालय	534	4206
23	मिजोरम	340	1937
24	नागालैंड	776	5348
25	ओडिशा	130	15104
26	पुडुचेरी	3	13
27	राजस्थान	**283**	**51774**
28	सिक्किम	175	1510
29	तमिलनाडु	46	3315
30	तेलंगाना	32	26180
31	त्रिपुरा	431	2778
32	उत्तर प्रदेश	25	310
33	उत्तराखंड	109	4046
34	पश्चिम बंगाल	45	11152
	कुल	**6154**	**312167**

*****